राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 49/2024 निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा **बनाम**

1. कन्हैया लाल पुत्र रोडु धाकड़, निवासी दोलपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा
2. सरपंच ग्राम पंचायत दोलपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दोलपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा

–निगराकार **–गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम बाबत निरस्त कराने पट्टा विलेख 04 दिनांक 07.05.2005 जारी द्वारा ग्राम पंचायत दोलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

उपस्थित – 1. विभागीय पेरोकार, निगराकार की ओर से
2. श्री के०सी० काष्ट, गैर निगराकार की ओर से अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 01/05/2026

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अनुसार गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत दोलपुरा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पास जो नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा क्रमांक 04 दिनांक 07.05.2005 को जारी किया गया वह नियम विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के नियम 1 व 2 के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गयी है, जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार संख्या 01 के नाम पुश्तैनी मकान के भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली संख्या 01 दिनांक 07.05.2005 कायम की गयी थी किन्तु ग्राम पंचायत में भूमि आवंटन से संबंधित कोई रेकोर्ड उपलब्ध नहीं है जिसके कारण नियमों की अवहेलना की जांच नहीं की जा सकी है। जाँच कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 01.10.2024 किया गया है जिसके अनुसार मौका निरीक्षण दिनांक तक भूखण्ड पर कच्चा एवं पक्का आवासीय मकान का

1.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्माण नहीं हैं। भूखण्ड पर मवेशियों को बांधने के उपयोग में लिया जा रहा है। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(2) के तहत पुराने निर्मित गृहों का विनिर्मितकरण करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना की जा कर पट्टाधारी को पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत में भूखण्ड आंवटन से संबंधित भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 01 दिनांक 07.05.2005 उपलब्ध नहीं हैं। इस आशय का पत्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दोलपुरा द्वारा दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड के जारी किये गये पट्टे की द्वितीय प्रति वक्त जांच प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार भूखण्ड के पडौस पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में किसी को नहीं दर्शाया गया है। पूर्व और उत्तर दिशा में आम रास्ता दर्शाया गया है। जो नियम विरुद्ध नक्शा तैयार किया गया है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा आम रास्ते एवं सार्वजनिक चौक की भूमि पर पट्टे को आधार मान कर दुरुपयोग किया जाकर अवैध अतिक्रमण कर कच्चे पत्थरों की दिवार बनायी गयी है, जो नियम विरूद्ध है। गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा सार्वजनिक चौक की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने के कारण राज्य स्तरीय जनसुनवाई केम्प दोलपुरा में दिनांक 01.08.2024 को प्राथी श्री राजु/धन्ना दरोगा निवासी दौलपुरा द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर पंचायत समिति द्वारा जाँच कमेटी अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी की संयुक्त कमेटी गठित की जाकर जांच करवायी गयी है। जाँच कमेटी द्वारा भी उक्त पट्टे को नियम विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने के कारण निरस्त योग्य माना गया है। जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 01 एवं पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 जारी किया गया है। जो इसी दिनांक को पत्रावली दर्ज की जाकर इसी दिनांक को पट्टा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से पंचायतीराज नियम 1996 के नियम –145,146,147,148,149 व 157 की अवहेलना की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना की गई है जो पट्टा निरस्त योग्य है। निवेदन है कि निगराकार कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दोलपुरा द्वारा आवासीय भूमि का गैर निगराकर संख्या 01 के पक्ष में जो पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 को जारी किया गया है उसको निरस्त कराना फरमायें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर गैर निगराकारान को नोटिस जारी किए गए।

जवाब जरिए गैर निगराकार अनुसार विकास अधिकारी जो कि ग्राम पंचायत का नियंत्रण करता है तथा पंचायतीराज अधिनियम के तहत उसे किसी भी प्रकार से निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार पंचायतीराज अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायसंगत है। विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ ग्राम पंचायत धोलपुरा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दोलपुरा तहसील माण्डलगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दोलपुरा तहसील माण्डलगढ़ का

1.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पंचायतीराज अधिनियम के तहत नियंत्रक अधिकारी है तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किये गये कार्यो का नियंत्रण करता है निगरानी में वर्णित पट्टा 2005 में जारी करना बताया है जबकि निगरानी 07.11.2024 को प्रस्तुत होकर दिनांक 11.11.2024 को दर्ज हुई है जो अत्यधिक विलम्ब से एवं समयावधि बाहर पेश होने से निगरानी प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अंकित पट्टा क्रमांक 04 दिनांकित 07.05.2005 तत्कालीन समय के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से जारी किया गया है जिसे किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है। निगरानी में निंविरूद्ध ग्राम पंचायत की कार्यवाही को दर्शाया है लेकिन उसका कोई आधार निगराकार ने नही दर्शाया है, ऐसी स्थिति में निगरानी निगराकार सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार ने स्वीकार किया है कि नियमों की अवहेलना की जांच नहीं की जा सकती केवल मात्र भूखण्ड पर कच्चा पक्का आवासीय मकान का निर्माण नहीं करने का कथन किया है जो सरासर गलत है। इसके संबंध में कुछ फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जा रहे है जिससे प्रमाणित होता है कि जवाबदाता पट्टे की भूमि पर निवास कर रहा है। इस संबंध में यह भी निवदेन है कि राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार का बेघर व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का सत्त प्रयास रहा है निराकार की उक्त पट्टे वाली भूमि पर बले मकान के अतिरिक्त कोई भी आवासीय मकान नहीं है, ऐसी स्थिति में जवाबदाता को किसी भी प्रकार से बेघर नहीं किया जा सकता है। उसकी आवास की सुविधा को समाप्त करना पूर्णरूपेण गैर कानूनी होगी एवं न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होगा इस कारण निगरानी निगराकार खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के संबंध में क्या निगराकार ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवायी है अथवा ग्राम पंचायत के किसी भी अधिकारी को इस संबंध में नोटिस वगैराह जारी किये है एवं पत्रावली ढूंढने के लिए कहा है इन सब प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पर नकारात्मक है ऐसी स्थिति में बनावटी तथ्यों को विधिक तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पट्टे की द्वितीय प्रति प्रस्तुत होने का कथन हुआ है आखिर यह कहा से आया है इस चरण में पडौसों का मिना नहीं होने का कथन किया है। क्या इस संबंध में ग्राम के कन्ही मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष ऐसा पट्टा मौका तैयार किया गया है यदि नहीं तो निश्चित रूप से यह निगरानी मनमकसूद आधार पर प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। जवाबदाता द्वारा आम रास्त अथवा सावर्जनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि वास्तविक स्थिति में 2005 से पूर्व जिस जगह काबिज था एवं आवास करता था उसी स्थान का पट्टा दिया गया है। निगरानी में राज्य स्तरीय जन सुनवाई केम्प दोलपुरा में प्राप्त शिकायत को आधार बताया गया है जिसकी प्रति जवाबदाता को प्राप्त नहीं हुई है इस कारण इसका जवाब सुरक्षित रखा जाता है। वर्ष 2005 से लेकर 2024 से पूर्व तक तत्कालीन समय के सचिव/ग्राम विकास अधिकारी अथवा तत्कालीन सरपंच को अब तक इस चरण में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई भी कारण बताओं नोटिस निगराकार द्वारा जारी नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इस चरण के आरोप अपने आप ही मिथ्या प्रमाणित होते है ग्राम पंचायत पर विकास अधिकारी एक नियंत्रक अधिकारी है यदि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कोई भी अवैध पट्टा जारी किया जाता है तो विकास अधिकारी का विधिक कर्तव्य है कि वह ग्राम

1.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पंचायत के रेकॉर्ड की विधिक जांच करे लेकिन ऐसी कोई विधिक जांच निगराकार जो वर्ष 2024 में विकास अधिकारी रहे है इससे पूर्व कई विकास अधिकारी पदस्थापित रहे है लेकिन किसी भी विकास अधिकारी ने इस चरण में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई भी आरोप नहीं लगाया है ऐसी स्थिति में निगरानी निगराकार सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। गलत होकर अस्वीकार है, इस चरण में पंचायतीराज नियम 1996 के किस नियम की अवहेलना की गई का उल्लेख नही होने से पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण निगरानी सारहीन है। आगे के चरण में निगराकार ने जो अनुतोष चाहा है वह विधिक तौर पर प्रदत्त नहीं किया जा सकता है इस कारण निगरानी न्यायहित मे खारिज किये जाने का आदेश सादिर फरमावे। ग्राम पंचायत दोलपुरा द्वारा वर्ष 2005 में पट्टा जारी किया था, लगभग 19–20 वर्ष तक ग्राम पंचायत दोलपुरा के किसी भी व्यक्ति को गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे के संबंध में कोई भी शिकायत नही थी लेकिन राजनैतिक द्वेश्दा से तथा निगराकार द्वारा विधि विपरीत कृत्य के जरिये यह निगरानी पेश की गई है जो सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जवाब के साथ कुछ फोटोग्राफ्स पेश किये जा रहे है, जिनसे प्रमाणित होता है कि गैर निगराकार संख्या 01 कन्हैया लाल का परिवार पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत दोलपुरा में अपना जीवनयापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त होने से वह बेघर हो जायेगा और सरकार का विधिक तौर पर पुनीत कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं किया जाये एवं उसके आवास की समुचित व्यवस्था की जाये। यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत दोलपुरा में सार्वजनिक चौक आम रास्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज/नक्शा मौका इत्यादि न तो प्रस्तुत हुआ है न ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है ऐसी स्थिति में बनावटी तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है। निवेदन है कि जवाब का अवलोकन फरमा निगरानी को भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब जरिए बीडीओ माण्डलगढ अनुसार ग्राम पंचायत दोलपुरा को पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(2) के तहत आबादी भूमि में 50 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष के दौरान निर्मित आवासीय मकान की भूमि का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री कन्हैया लाल धाकड को पट्टा विलेख संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 को पचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत 200/– रूपये जमा कर जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री धाकड़ को खाली भूखण्ड को आवासीय मकान बताया जाकर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया। वर्तमान में मौके पर पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का कोई आवासीय कच्चा/पक्का मकान निर्मित नहीं हैं एवं न ही उक्त भूमि पर श्री धाकड़ का परिवार निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम–145, 146, 147, 148, 149 व 157 की अवहेलना की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा खाली भूखण्ड की भूमि के साथ सामने सार्वजनिक चौक की भूमि को भी पट्टे में सम्मिलित करते हुए नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। धाकड़ वर्तमान में उक्त भूखण्ड के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सामने स्वयं का आवासीय पक्का मकान निर्मित हैं जिसमें अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा धाकड़ को जारी किये गये पट्टा विलेख संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 को निरस्त किया जाता है तो श्री धाकड़ का परिवार बैघर नहीं होगा। क्योकि उक्त भूखण्ड खाली हैं। जिसमें मवेशी बांधने के उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखण्ड से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत समिति द्वारा अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी की कमेटी गठित कर जाँच करवायी गयी। कमेटी की जाँच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा श्री धाकड को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की गयी है। जांच कमेटी द्वारा श्री धाकड को सुनवाई का अवसर इस कार्यालय के पत्र कमांक 1393 दिनांक 08.10.2024 को सूचना पत्र दिनांक 14.10.2024 को अपना पक्ष एवं पट्टे संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया किन्तु श्री धाकड़ सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा श्री कन्हैया लाल पिता रोडु धाकड़, निवासी दोलपुरा, ग्राम पंचायत दोलपुरा के नाम पट्टा विलेख संख्या 04 दिनांक 07.05.2005 को पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत नियमों की अवहेलना की जाकर खाली भूखण्ड को पुस्तैनी दर्शाया जाकर जारी किया गया है। निगरानी प्रकरण में जवाब स्वीकार किया जाकर पट्टा निरस्त करवाने का श्रम करावें।

प्रकरण में विवेचन उपरान्त पाया गया कि जांच कमेटी(अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी) अनुसार पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया गया है। जांच कमेटी ने विपक्षी–1 को अपना पक्ष एवं पट्टे संबंधित दस्तावेज रखने हेतु अवसर दिया गया था किन्तु विपक्षी–1 अनुपस्थित रहा और कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है, अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत पट्टा निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत पट्टा विलेख 04 दिनांक 07.05.2005 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, माण्डलगढ व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दौलपुरा(माण्डलगढ) को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.5.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा